

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

क्रमांक 1158/13-MM Cell/2024

ग्वालियर, दिनांक 31/09/2025

प्रति,

कलेक्टर

भू-अभिलेख

समस्त जिले (म.प्र.)

विषय- राजस्व विभाग में राजस्व अधिकारियों को पदनाम आधारित विभागीय मोबाईल नम्बर (सी.यू.जी) सुविधा उपलब्ध कराने बाबत।

- संदर्भ - 1. शासन के आदेश क्रमांक 3-48/2018/सात/शा-5 दिनांक 17-4-2018
2. इस कार्यालय द्वारा सी.यू.जी.सिम सुविधा हेतु जारी निविदा क्रमांक MPCLR/2025/CUG SIM/003 दिनांक 3-7-2025।

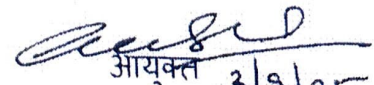
विषयान्तर्गत संदर्भित निविदा द्वारा प्रदेश में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल 25000 सिमों की सेवाएं लिये जाने हेतु नवीन संदर्भित निविदा जारी की गई है तदनुसार ही आपको आपकी मांग अनुसार सी.यू.जी. सिम प्रदाय की जायेगी।

वर्तमान में आपके जिले में जियो एवं एयरटेल की सिमों की सेवाएं जारी हैं नवीन सर्वित प्रदाया कम्पनी की इन वर्तमान सिमों को पोर्ट भी कराया जाना है तथा नवीन सिमों की आवश्यकतानुसार आपको अतिरिक्त सिमों भी प्रदाय की जाना है, इस हेतु आपको एक गूगल शीट शेयर की जा रही है जिसमें आप तत्काल 3 दिवस के अन्दर जानकारी प्रेषित करें जिससे आपको अतिरिक्त सिमों प्रदाय की जा सकें एवं वर्तमान प्रचलित सिमों को पोर्टिंग कराया जा सके।

जिलों के नोडल अधिकारी पूर्व जारी निर्देशों अनुरूप जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख ही रहेगें जो समस्त सिमों का बितरण एवं प्रबंधन हेतु जिम्मेवार रहेगें साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगें कि पात्र कर्मचारी/ अधिकारी की सिम को इस्तेमाल करें।

अतिरिक्त आवश्यक सिमों की संख्या एवं पोर्टिंग किये जाने हेतु आपको गूगल शीट लिंक CURRENT STATUS AND NEW REQUIRED DATA OF CUG SIM AS ON 2-9-2025 - Google Sheets शेयर की जा रही है जिसमें यलो (पीला) कलर वाली कालमों में जानकारी प्रेषित करना है अन्य कोलमों का नहीं डिस्टर्ब करना है।

1. गूगल शीट क्रमांक 1 जियो सिम की वर्तमान प्रचलित सिमों की जानकारी है।
2. शीट क्रमांक 2 एयरटेल की वर्तमान सिमों की जानकारी अपडेट कर भरें।
3. शीट क्रमांक 3 जिलों को नवीन अतिरिक्त सिमों की आवश्यकता हेतु डाटा भरें।
4. शीट क्रमांक 4 में एयरटेल की वर्तमान सिम संख्या तथा नवीन अतिरिक्त सिमों की माँक संख्या दी जानी है।

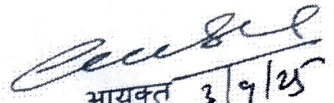

आयुक्त 31/9/25
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक 1158/113-MM Cell/2024
प्रतिलिपि-

ग्वालियर, दिनांक 3/09/25

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. राहत आयुक्त, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न - शासन निर्देश


आयुक्त 3/9/25
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश